संख्या-37/2019/190/35-3-2019-1(23)/2018

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज हेतु सी.सी.रोड निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-महराजगंज की सी.सी.रोड निर्माण कार्य की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू. 27.98 लाख (रू. सत्ताईस लाख अटठानवें हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष क्रमश: रू. **16.79** लाख एवं रू. 11.19 लाख अर्थात कुल रू. 27.98 लाख की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। कार्य की कार्यदायी संस्था-यू0पी0आर0एन0एस0एस0 एवं लोक निर्माण विभाग होगी।(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखण्ड	क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन	प्रस्तावित धनराशि में केन्द्रांश 60 प्रतिशत	प्रस्तावित धनराशि में राज्यांश 40 प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		कार्यदायी संस्था-यू.पी.आर.एन.एस.एस.			
लक्ष्मीपुर	1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर के कैम्पस में सी.सी.रोड ल0 190.50 मी0 गुणे चौ03.50 मी0	**14.43**	**8.66**	**5.77**
		कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग			
नौतनवा	2	ग्राम पंचायत हरपुर के टोला नौडियहवा में पी.डब्लू. डी. रोड से त्रियुगी के घर होते हुये रामअवध के घर तक 230 मी.सी.सी.रोड (चौ02.75 मी0) का निर्माण	**13.55**	**8.13**	**5.42**
		योग	**27.98**	**16.79**	**11.19**

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। परियोजना/योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीध्र कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि **उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्**त्रोत **से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।**

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

5- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री /उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा । इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

7- कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/ बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जाएगें।

8- ि्दरावृ्ित से बचने के लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी ।

9- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा सृजित परिसंपत्तियों का सम्बन्धित को हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा ।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम् 31 मार्च, 2019 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारी की जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/डराइंग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

15- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

16- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-09-सी.सी.रोड एवं के.सी.डेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-276 /दस-2019 दिनांक 22 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमत से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2019/190(1)/ 35-3-2019-1(23)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव,सहकारिता विभाग/लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
5. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. कोषाधिकारी,महराजगंज ।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग5- ।
11. उप निदेशक,(अर्थ एवं संख्या)गोरखपुर मण्डल।
12. अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
13. राज्य योजना आयोग ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in